न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 187–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–12–2013 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 5(1)/2013–14/3420

....

मैसर्स ग्रेट गेलियन लिमिटेड
सेजवाया जिला धार म0प्र0

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबकारी आयुक्त,
ग्वालियर म0प्र0

.... प्रत्यर्थी

....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एच.के.अग्रवाल, पेनल अभिभाषक, प्रत्यर्थी शासन

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/15 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 62(2) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी कम्पनी मैसर्स गेलियन सेजवाया जिला धार को वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय के पत्र कमांक 5(1)/2011–12/446 में दिनांक 15–2–11 द्वारा प्रदान की गई थी । सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर ने उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता इंदौर के पत्र कमांक/आब./ठेका/2012–13 दिनांक 14–6–12 अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 1040 दिनांक 6–7–12 एवं पत्र कमांक 1084

दिनांक 13–7–12 के माध्यम से अबगत कराया कि मद्यभाण्डागार इंदौर में माह नवम्बर 2011 से मार्च 2012 तक भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया, जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। इसी प्रकार मद्यभाण्डागार मऊ पर माह नवम्बर 2011 से मार्च 2012 तक भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है । जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। उपरोक्त अनियमितताओं के लिये प्रदाय संविदाकार अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक 5(1)/2011–12/2394 दिनांक 24–8–12 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर अपीलार्थी द्वारा दिया गया एवं बताया गया कि आसवक को आवंटित प्रदाय मद्यभाण्डागार क्षेत्र इंदौर एवं मऊ पर बोतल बन्द मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को कोई हानि नहीं हुई है । फुटकर ठेकेदारों को मॉग अनुसार मदिरा का प्रदाय किया गया है, कोई चालान लंबित नहीं रहे हैं । मदिरा के अभाव में दुकाने बंद नहीं रही है और न ही किसी फुटकर ठेकेदार द्वारा देशी मदिरा दुकानें बंद रहने के कारण क्षतिपूर्ति की मॉग ही की गई है । इस प्रकार अपीलार्थी को दिया गया कारण बताओं सूचना पत्र निरस्त किया जाये । अपीलार्थी का जबाव समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–2013 से अपीलाथी कंपनी पर मद्य भाण्डागार इंदौर एवं मऊ में माह नबम्बर 2011 से मार्च 2012 में भरी हुई देशी मदिरा की बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखे जाने के कारण मदिरा प्रदाय हेतु इस अवधि के चालान लंबित रहने से मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लघंन होना पाते हुये नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्तियॉ आरोपित की गई । आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–13 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना एवं समक्ष में सुनवाई किये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने कारण बताओ सूचना पत्र के जबाब में जो आधार बताये गये थे उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से विचार नहीं किया गया । आसवक द्वारा बोतल बन्द मदिरा का प्रदाय ईमानदारी एवं गंभीरतापूर्वक तथा समर्पण के साथ बिना किसी शासकीय नुकसान के पूरा किया गया था । फुटकर ठेकेदारों को उनकी मांग के अनुसार प्रदाय किया गया था एवं इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज अपीलार्थी कंपनी की ओर से प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी पर जो आरोप चालानों के लंबित रहने का लगाया गया है वह निराधार है, जबकि अपीलार्थी कंपनी द्वारा आवश्यक संग्रह हमेशा रखा गया था एवं प्रदाय किया गया था । यह कहना गलत है कि चालान लंबित रहने का कारण मदिरा का न्यूनतम संग्रह है, बल्कि वास्तविकता यह है कि फुटकर लायसेसियों द्वारा मदिरा उठाने में अक्षम होने की वजह से मदिरा का प्रदाय नहीं किया जा सका था । अतः इस कारण शासन को किसी भी प्रकार की राजस्व की कोई क्षति (हानि) नहीं हुई और न ही किसी फुटकर लायसेंसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से की है। इसलिये अपीलार्थी कंपनी पर किसी भी प्रकार की कोई भी शास्ति नहीं लगायी जा सकती ।

(3) अपीलार्थी कंपनी द्वारा अपने कारण बताओ सूचना पत्र के जबाब में यह निवेदन किया था कि उनके द्वारा प्रदाय व्यवस्था विधिवत बनायी रखी गयी है । बल्कि वितरकों द्वारा ही निर्धारित मासिक स्कंध उठाया नहीं गया है । आसवक द्वारा प्रदाय हेतु उपलब्ध स्कंध की जानकारी पत्र द्वारा प्रेषित की गई थी, जिसमें फुटकर ठेकेदारों के द्वारा मदिरा प्रदाय कम लिये जाने के कारण मद्य भाण्डागारों में आसवक की गाड़िया 3–3 दिन तक खाली नहीं हो पाना उल्लिखित किया गया

था। साथ ही मौखिक रूप से सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रायसेन को भी उक्त स्थिति की जानकारी दी गई थी । मद्य भाण्डागारों के सील बन्द मदिरा का स्टांक अधिक मात्रा में हो गया था । आसवक के द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था एवं निवेदन किया था कि फुटकर ठेकेदारों द्वारा मदिरा का प्रदाय लिये जाने हेतु उचित पत्राचार/दिशा निर्देशन देने की कृपा करें । चालान का लंबित रहना अन्य व्यवहारिक कारणों पर भी निर्भर होता है । जैसे हमारी परिस्थितियों में फुटकर ठेकेदारों द्वारा समय पर चालान जमा नहीं करना, बेसिक लायसेंस फीस जमा नहीं होना एवं प्रदाय मूल्य का भुगतान नहीं करना, जिसका यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये कि स्कंध की अनुपलब्धता थी । फुटकर विक्रेता नियम 5 मध्य प्रदेश देशी मदिरा नियम 1995 के अंतर्गत निर्देशित उपबंधों के अनुपालन करने के पश्चात ही स्कंध प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है, इसमें उसके द्वारा चूक की गई है । उक्त तथ्य के कारण भी बल मिलता है कि किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा प्रदाय व्यवस्था के विषय में कोई शिकायत नहीं की गई है न ही हमारी प्रदाय व्यवस्था के कारण किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है । आसवक के द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है कि अन्य जिलों में भी प्रदाय व्यवस्था निरन्तर जारी रहे । आसवक के द्वारा निरन्तर मदिरा प्रेषण भेजे जा रहे है, किन्तु फुटकर ठेकेदार की अपनी समस्या के चलते जैसे कि माह एवं पक्ष के अंतिम दिन चालान जमा करना, टीडीएस जमा नहीं करना, मदिरा का प्रदाय मूल्य का भुगतान नहीं करने के कारण प्रदाय लंबित रहता है, जिस पर आसवक को जिम्मेदार ठहराना अनुचित होगा ।

(4) आसवक द्वारा यह भी बताया कि मद्य भाण्डागारों में प्रदाय व्यवस्था पूर्ण रूप से सतत् जारी रही है । मद्य भाण्डागारों पर बोतल बंद मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को कोई हानि नहीं हुई है । फुटकर ठेकेदारों को मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय किया गया है । कोई चालान लंबित नहीं रहे है । मदिरा के अभाव में दुकाने बंद रहने के कारण क्षतिपूर्ति की मांग भी नहीं की गई है । इस प्रकार अपीलार्थी कंपनी द्वारा दिये गये जबाब पर विधिवत विचार किये बिना, जो

आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(5) राज्य शासन को क्या हानि हुई इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया । इसलिये प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1970 सु0को0 253, एआईआर 1980 सु0को0 346 एआईआर 1985 सु0को0 285, एआईआर 1990 सु0कोर्ट 1979 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अपीलार्थी ईकाई द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध से कम संग्रह रखा गया है, जिस कारण चालान लंबित रहने के कारण शासन को हानि हुई है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक दिनांक 3–12–13 से अपीलार्थी पर मद्य भाण्डागार इंदौर एवं मऊ पर बोतलों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखने के कारण मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के अनुसार जो शास्ति आरोपित की गई है, वह उचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता इस अपील में नहीं है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी ईकाई पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये आबकारी आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मद्यभाण्डागार जिला इंदौर में नवम्बर 2011 लगायत मार्च, 2012 तक बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है । इसी प्रकार मद्यभाण्डागार, महू में नवम्बर 2011 लगायत मार्च 2012 तक बोतल बंद मदिरा का न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, इस कारण चालान लंबित रहे हैं, जिनका उल्लेख आबकारी

आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है । अतः स्पष्टतः जहाँ अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तो का उल्लघंन किया गया है वहीं म0प्र0देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का भी उल्लघंन किया गया है क्योंकि नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है । जहाँ नियम 4(4) का उल्लघंन है वहाँ नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्को में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस संबंध में जहाँ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–12–2013 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश अपील प्रकरण क्रमांक 188–दो/2014 एवं अपील प्रकरण क्रमांक 189–दो/2014 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की प्रति उपरोक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर